पत्रांक–01/गै0प्रा0आ0–02/2014/....................../आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– **आगजनी के कारण फसल जलने पर फसल क्षति मुआवजा देने हेतु दिशा–निर्देश की मांग के संबंध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक–255/आ0प्र0 दिनांक–07.04.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में विधि विभाग के परामर्शानुसार कहना है कि भारत सरकार के SDRF & NDRF Norms के दिनांक–08.04.2015 के पत्र के कंडिका–5(i)Ad के Norms of Assistance Column में स्पष्टतः यह उल्लेखित है कि भूमि के क्षति होने पर सहायता उन्हीं लघु एवं सीमांत कृषको को प्रदान किया जाएगा, जो राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि के बैध मालिक है, जबकि कंडिका–5(i)B के Norms of Assistance Column में कहीं इस बात का जिक नहीं किया गया है कि सहायता भूमि के बैध मालिक को ही दिया जाएगा। इन दोनों कंडिकाओं के विश्लेषण से यह प्रतीत हो रहा है कि गृह मंत्रालय के द्वारा अनुदान देने के संबंध में Annexure के 5(i)B के Norms of Assistance Column का उद्देश्य यही है कि जो फसल लगायेगा/उगायेगा उसे ही अनुदान मिलना चाहिए।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–.....937...../आ0प्र0, पटना–15 दिनांक– 28/3/17

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बिहार (बेगूसराय को छोड़कर)/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग (विभागीय वेबसाईट पर लोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

D:\2017\Sanjay Sinha\Unnatural disaster\letter 27-3-17 sec..docx